अमर उजाला

7th March, 2014, Page-9

बच्चों के ख़िलाफ अपराध की शिकायत ऑनलाइन

नई दिल्ली (ब्यूरो)। बच्चों के ख़िलाफ हिंसा की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा शुरू कर दी है। अब तक शिकायतकर्ता लिखित रूप में अपनी बातों को आयोग तक प्रहुंचाते थे। लेकिन अब घर बैठे वे अपनी शिकायत आयोग तक पहुंचा सकेंगे। वहीं शिकायतकर्ता संबंधित मामले में हो रही कार्यवाही पर खुद निगरानी भी रख सकेंगे। ई-बाल निदान के नाम से शुरू की गई इस योजना के जरिए आयोग को प्राप्त शिकायतों का निवारण राज्य स्तरीय अधिकारियों, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस विभाग और राज्य बाल आयोग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय बाल आयोग का इस बारे में कहना है कि बच्चों के प्रति तमाम जिम्मेदारियों के साथ-साथ बाल अधिकार के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच और उसका निपटारा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। तय समय पर शिकायतों का निपटारा हो सके इसलिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पद्धति को शुरू किया गया है।